

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री शुभा
पिता सुभा जाति बैरवा निवासी बोरसा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम बोरसा पटवार मण्डल बोरसा के खाता संख्या 232 में चमार
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(श्री. शुभा बैरवा)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री शुभा पिता सुभा की
ग्राम बोरसा प0म0 बोरसा के खाता संख्या 232 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

पटवारी
प0म0 बोरसा

वृत्त बोरसा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री शुभा पिता सुभा की
ग्राम बोरसा प0म0 बोरसा के खाता संख्या 232 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी
श्री शुभा पिता सुभा की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम बोरसा
प0म0 बोरसा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 232 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
प्रवारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)